

संपादकीय

राष्ट्र एक चुनाव मौजूदा केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी विचार है। यह नारा उसने अपने पिछले कार्यकाल में ही दिया था। मगर इसे लेकर विरोध शुरू हो गया और विपक्षी दलों ने न केवल इसे अत्यावहारिक, बल्कि असंवैधानिक भी कहा दिया था। सरकार ने इस पर विचार और सुझाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई में एक समिति गठित कर दी। उस समिति के गठन पर भी सवाल उठे कि उसके सदस्यों के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। मगर समिति ने विभिन्न दलों से

वन नेशन-वन इलेक्शन' समय और जनता पर बोझ से बचने के लिए जरूरी

बातचीत की, जिसमें से अनेक दलों ने इस विचार का विरोध किया था, फिर भी समिति ने सुझाव दिया कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके पीछे बड़ा तर्क है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाने से धन और समय की काफी बर्बादी होती है। इस तर्क को खारिज करने के लिए भी अनेक उदाहरण और

तर्क पेश किए गए। मगर सरकार ने इससे संबंधित दो विधेयक संसद में पेश कर दिए। एक विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर था और दूसरा केंद्र और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ करने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित था। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में सत्तापक्ष को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। वह नहीं मिल

पाया और स्वाभाविक रूप से दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके। अब सरकार ने इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेजने का फैसला किया है। निस्संदेह यह संवैधानिक दृष्टि से संवेदनशील मुद्दा है और इसे आनन-फानन पारित करा लेने से आने वाले वक्त में कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात से

इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग-अलग चुनाव होने से न केवल खर्च कुछ अधिक होता है, बल्कि निर्वाचन आयोग और सरकार के कामकाज में भी बाधाएं आती हैं। मगर ऐसा करने के लिए जिन सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, उससे संवैधानिक मूल्यों को टेस पहुंचने का खतरा रहेगा ही। फिर, यह भी कोई गारंटी नहीं कि कहीं मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आएगी। उस स्थिति में कब तक सरकार का काम मुलतवी रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लंबे समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए रखना अच्छी बात नहीं होती।

कई रहस्यमयी गाथाओं का साक्षी है यह मन्दिर

उत्तराखण्ड के लोगों की आस्था का केन्द्र महाकाली मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक महाकाली के चरणों में आराधना के श्रद्धापुष्प अर्पित करता है उसके रोग, शोक, दरिद्रता व महान विपदाओं का हरण हो जाता है व उसे अतुल ऐश्वर्य और सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहां श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है। इसलिये वर्ष भर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। यहां पधारने वाले भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से बताते हैं कि किस प्रकार माता महाकालिका ने उनकी मनौती पूर्ण की।

गंगोलीहाट जहां विश्राम करती है काली माता

(रमाकान्त पन्त)



प्राकृतिक रूप से निर्मित गणेश मूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाये और अचेत होकर इस स्थान पर गिर पड़े व कई दिनों तक वे यहीं पड़े रहे। उनकी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अपने अंहभाव व कटु वचन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को अब अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अन्तर्मन से माता से क्षमा याचना के पश्चात मां भगवती की अलौकिक आभा का उन्हें आभास हुआ।

सरयू एवं रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनहरी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार बतायी जाती है और यही त्रिभुज तंत्र शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात् यंत्र है। यहां धनहीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, सम्पत्तिहीन सम्पत्ति की इच्छा से सांसारिक मायाजाल से विरक्त लोग मुक्ति की इच्छा से आते हैं व अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं।

मंदिर के निर्माण की चमत्कारिक कथा

पूजन की परम्परा को नया स्वरूप दे गये शंकराचार्य

चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली से चरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति व योगसाधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमय रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के सात बड़े-बड़े भदेलों से शक्ति को कीलन कर प्रतिष्ठापित किया। अष्टदल व कमल से महवायी गयी इस शक्ति की ही पूजा अर्चना वर्तमान समय में यहां पर होती है। पौराणिक काल में प्रचलित नरबलि के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा अब यहां प्रचलित है।

चमत्कारों का साक्षी * चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्रचण्डी यज्ञ, सहस्रघट पूजा, शतचंडी महायज्ञ, का पूजन समय-समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहां अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा सब दिन हवन यज्ञ आयोजित होते हैं। मंदिर में चैत्र और अश्विन मास की महाष्टमी को पिपलेत गांव के पंत उपजाति के ब्राह्मणों द्वारा अर्धरात्रि में भोग लगाया जाता है। इस कालिका मंदिर के पुजारी स्थानीय गांव निवासी रावल उपजाति के लोग हैं।

कि पूरा मंदिर, भोग भवन, शिवमंदिर, धर्मशाला, मंदिर परिसर व प्रवेश द्वारों के निर्माण होने के बाद पत्थर की खान स्वतः ही समाप्त हो गयी। आश्चर्य की बात तो यह है इस खान में नौ फिट से भी लम्बे तराशे हुए पत्थर मिले।

महाकाली के संदर्भ में एक प्रसिद्ध किंवदन्ती है कि कालिका का जब रात में डोला चलता है तो इस डोले के साथ कालिका के गण आंग व बाण की सेना भी चलती हैं। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को झूले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है*

रोज विश्राम करने आती है कालिका

महाभारती के बाद शक्ति के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है कि मानों यहां साक्षात् कालिका विश्राम करके गयी हों क्योंकि बिस्तर में सलबतें पड़ी रहती हैं। मां काली के तमाम किस्से आज भी क्षेत्र में सुने जाते हैं भगवती महाकाली का यह दरबार असंख्य चमत्कार व किंवदन्तियों से भरा पड़ा है*

सेना की है गहरी आस्था

गंगोलीहाट में स्थित ९५मां कालिका मंदिर%जिसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र सहित भारतीय फौज की एक शाखा कुमाऊं रेजीमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र भी कहा जाता है, जो विश्वभर में प्रसिद्ध है। हाट कालिका माता के इस पावन मंदिर को भगवती माता मंदिर, हाट दरबार, महाकाली शक्तिपीठ आदि नामों से भी जाना जाता है।कुमाऊं रेजीमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव द्वितीय विश्वयुद्ध (1939 से 1945) के दौरान हुआ। बताया जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज डूबने लगा। तब सैन्य अधिकारियों ने जहाज में सवार सैनिकों से अपने-अपने ईंध की आराधना करने को कहा। कुमाऊं के सैनिकों ने जैसे ही हाट काली का जयकारा लगाया तो जहाज किनारे लग गया। इस वाक्ये के बाद कुमाऊं रेजीमेंट ने मां काली को अपनी आराध्य देवी की मान्यता दे दी। जब भी कुमाऊं रेजीमेंट के जवान युद्ध के लिए रवाना होते हैं तो कालिका माता की जै के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं। सेना की विजययाथा में हाट कालिका के नाम से विख्यात गंगोलीहाट के महाकाली मंदिर का भी गहरा नाता रहा है। 1971 की लड़ाई समाप्त होने के बाद कुमाऊं रेजीमेंट ने हाट कालिका के मंदिर में महाकाली की मूर्ति चढ़ाई थी। यह मंदिर में स्थापित पहली मूर्ति थी। हाट कालिका के मंदिर में शक्ति पूजा का विधान है। सेना द्वारा स्थापित यह मूर्ति मंदिर की पहली मूर्ति थी। इसके बाद 1994 में कुमाऊं रेजीमेंट ने ही मंदिर में महाकाली की बड़ी मूर्ति चढ़ाई। इन मूर्तियों को आज भी शक्तिस्थल के पास देखा जा सकता है। हाट कालिका की पूजा के लिए सालभर सैन्य अफसरों और जवानों का ताता लगा रहता है।(विभूति फीचर्स)

अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र दृष्टिकोण में, न कि नाम जपने में


बाबासाहेब अम्बेडकर की विरासत पर चल रहा राजनीतिक विवाद, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनेता, विशेष रूप से प्रमुख जातियों के, जाति-आधारित भेदभाव को सम्बोधित किए बिना इसका शोषण करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि दलित केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और अवसरों के लिए लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए अम्बेडकर के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के समर्थकों द्वारा 'ईश्वर की गलत खोज' के बारे में हल ही में की गई टिप्पणियों ने आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है।

-पियंका सौरभ

इन टिप्पणियों ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ दशकों से चल रही सक्रियता को कमजोर करती हैं। बी.आर. अम्बेडकर के विचार और दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक बने हुए हैं, जो न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अम्बेडकर के सिद्धांतों को चुनिंदा रूप से अपनाना और हाशिए पर पड़े समूहों से सम्बंधित मुद्दों पर अपर्याप्त ध्यान उनके मिशन के सार को कमजोर करता है। अम्बेडकर को देवता बनाने की प्रथा सामाजिक परिवर्तन और दलित समुदाय को सशक्त बनाने में उनके अपार योगदान में निहित है।

राजनेता, जिनमें से अधिकांश प्रमुख जातियों से हैं, जातिगत भेदभाव को सम्बोधित किए बिना अम्बेडकर की विरासत पर बहस कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से अम्बेडकर की पहल का विरोध किया, आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। पार्टी ने जातिगत वास्तविकताओं को सम्बोधित करने के बजाय दलितों को एक गरीब वर्ग (गरीब जनता) के रूप में माना। बजट आवंटन के बावजूद दलितों को अभी

भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो 50-60 साल पहले की तरह ही हैं। अम्बेडकर की विरासत पर संसद की बहस प्रमुख जाति के राजनेताओं के बीच जातिगत प्रवचन की सतहीता को उजागर करती है। बुलंद बयानबाजी के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव प्रणालीगत बना हुआ है, जिसका सबूत दलितों के खिलाफ हिंसा जैसी चल रही घटनाओं से मिलता है। दलितों के मुद्दों को उठाने में इंडिया ब्लॉक की तीव्रता हाशिए पर पड़े समूहों के संघर्षों की वास्तविक समझ की कमी के विपरीत है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अम्बेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण करके दलितों की गरिमा पर जोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिसमें दलित व्यक्ति पर पेशाव करने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों



का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है। अम्बेडकर के विचार दलितों से परे हैं, जो सभी हाशिए पर पड़े समूहों के लिए भेदभाव और असमानता का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ध्यान अस्तित्व से हटकर समान अवसर और शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं पर केंद्रित हो गया है। अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण

को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अम्बेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चर्चाओं को प्रभावित करती है। दलित केवल पहचान की राजनीति से परे समान अवसर, शासन में समानता और अपनी आकांक्षाओं के लिए सम्मान चाहते हैं। उनका संघर्ष आकांक्षा और राष्ट्रीय समावेशिता के व्यापक विषयों को शामिल करता है। दलित पहचान के संकट से नहीं जूझ रहे हैं; उनका संघर्ष सम्मान, मान्यता, अवसर और समानता पर केंद्रित है। अम्बेडकर से लेकर काशीराम, मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेताओं तक, दलित आंदोलन लचीलेपन और आकांक्षाओं की विरासत पर आधारित है। दशकों से तुष्टिकरण की राजनीति ने दलितों को वंचित रखा है, कुछ लाभ प्रदान किए हैं जबकि समानता की उनकी आकांक्षाओं को दबा दिया है।

अम्बेडकर की विरासत पर बहस आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव की निरंतरता को खोला करता है। जाति मानव समानता और सम्मान के साथ सबसे महत्वपूर्ण

विश्वासघात बनी हुई है, जो सच्ची सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समुदायों में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करें और जाति-आधारित हिंसा और असमानता के लिए कठोर दंड का प्रावधान करें। दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार करें। सामूहिक गौरव को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अम्बेडकर जैसे दलित नेताओं के योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। शिकायतों को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए समुदायों के बीच खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करें। राजनीतिक नेताओं से विभाजनकारी बयानबाजी से बचने और सामाजिक न्याय के लिए नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करें। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए शासन, शिक्षा और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। हाशिए के समुदायों के भीतर समानता और सम्मान की वकालत करने वाली स्थानीय पहलों का समर्थन करें।